मु.नं.–46/2021 GCMS ID-2021/77 ता.रजु–09.06.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

राजेन्द्र प्रसाद मीना (वरिष्ठ सहायक) कार्यालय तहसीलदार, टोड़ाभीम हाल प्रतिनियुक्त कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, टोड़ाभीम जिला करौली (राज.) – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली – प्रत्यर्थी

·अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–23.06.2021

1. उभय पक्षकारान उपस्थित।
2. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली को आवेदन प्रेषित कर उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जरिये उपखण्ड अधिकारी टोड़ाभीम के पत्रांक – संस्था/2021/672 दिनांक 12.02.2021 में अब तक की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि मय कार्यालय टिप्पणी व प्रार्थना पत्र पर किये गये आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा प्रक्रियाधीन होना अवगत करवाते हुए सूचना दिये जाने से इंकार किये जाने के विनिश्चय से असंतुष्ट होकर यह प्रथम अपील पेश की है।
3. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। अतः सूचना दिया जाना संभव नहीं है। इस विषय में अपीलार्थी को पत्रांक–सू.अ.अ./2021/372 दिनांक 31.05.2021 से अवगत करवा दिया गया है।
4. अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि यदि उनका प्रार्थना पत्र प्रक्रियाधीन है तो अब तक क्या प्रक्रिया की गई है, उसी की आपके कार्यालय टिप्पणी की सूचना तो चाही गई है, परंतु वह भी मुझे नहीं दी गई है। अतः अब तक हुई कार्यवाही की सूचना दिलवाई जावे।
5. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र जो कि जरिये उपखण्ड अधिकारी, टोड़ाभीम प्रेषित किया गया था, पर हुई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा प्रक्रियाधीन होना अवगत करवाते हुए उपलब्ध करवाये जाने से इंकार किया गया है। अपीलार्थी उस प्रार्थना पत्र पर अब तक हुई प्रक्रिया की ही सूचना प्राप्त करना चाहता है जिसे दिलाया जाना न्यायोचित है।
7. अस्तु अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। अतः प्रत्यर्थी को आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर अब तक हुई कार्यवाही/प्रक्रिया की सूचना इस आदेश के 7 दिन में उपलब्ध करवाई जावे। यदि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे।
8. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 23.06.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली